अष्टम् अध्याय

काशी ग्रामीण बैंक की उपलब्धियाँ– एक सर्वेक्षण

काशी ग्रामीण बैंक की उपलब्धियाँ–एक सर्वेक्षण

यह अध्ययन चयनित ऋणकर्ताओं, जिन्होंने काशी ग्रामीण बैंक से ऋण लिया है, से व्यक्तिगत सम्पर्क के आधार पर प्राप्त सूचना पर आधारित है जो संलग्न प्रश्नावली में देखा जा सकता है।[1]

इसके आधार पर यह अध्ययन करना है कि क्या ऋण का वितरण अभिलक्षित परिवारों के बीच किया जा रहा है? अध्ययन का यह भी लक्ष्य है कि ऋणकर्ताओं के ऋण के उद्देश्य, ऋण प्राप्त करने में असुविधायें, ऋणों के उचित उपयोग एवं ऋणों के अदायगी में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी अध्ययन करना है कि ऋण वितरण से सम्बद्ध बैंक कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है एवं ऋणकर्ता ऋण सुविधाओं में कैसा सुधार चाहते है? साथ हीं साथ यह सर्वेक्षण यह भी अध्ययन करता है

---

1 शोधकर्ता ने वाराणसी जनपद के 8 ब्लाक में से 16 गाँवों का सर्वेक्षण किया है। हर ब्लाक से 2 गाँव लिये गये है। सर्वेक्षण में कुल 100 परिवारों से सम्पर्क स्थापित किया गया हैं। 100 परिवारों में से 47 परिवार ऐसे है जो कृषक है तथा 53 परिवार ऐसे है जो गैर कृषक है। 15 गाँवो मे से प्रत्येक से 6 परिवारों को लिया गया है और एक गाँव से 10 परिवारों को लिया गया है। प्रत्येक गाँव से यादृच्छिक नमूना (random) तकनीक के आधार पर ऋणकर्ता परिवार का चयन किया गया है। वर्तमान अध्ययन वर्ष 1980–1995 से सम्बन्धित है। तथ्यों के संकलन हेतु संलग्न साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक साक्षात्कार अनुसूची शोधकर्ता द्वारा ऋणकर्ताओं के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से पूरित की गयी है। साक्षात्कार अनुसूची के अतिरिक्त अनौपचारिक वार्तालाप के माध्यम से भी अध्ययन के लिये आवश्यक तथ्यों के वर्गीकरण एवं सारणीयन द्वारा उनकी समानता एवं विभिन्नता के आधार पर भिन्न-भिन्न वर्गों, अनुक्रमों एवं श्रेणियों में विभाजित करके सारणियाँ तैयार की गयी है। प्रत्येक सारणी में तथ्यों की संख्या (आवृत्ति)ही प्रतिशत दर्शा रही है।

कि ऋण लेने के पश्चात् ऋणकर्ता परिवार के आय में कितना परिवर्तन हुआ है।

साक्षात्कार अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न तथ्यों को निम्नलिखित शीर्षकों में प्रस्तुत किया गया है।

ऋणकर्ता की जातिः

निर्धनता से जाति का अति महत्वपूर्ण सम्बन्ध होने के कारण प्रस्तुत शोध पत्र में ऋणकर्ताओं की जाति का अध्ययन किया गया है।[1] भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था जाति प्रथा से ग्रसित है। परम्परागत रूप से राजनैतिक एवं आर्थिक आधार उच्च जातियों के हाथों में समाहित रही है, परन्तु सरकारी प्रयासों एवं शिक्षा के विकास के साथ-साथ आज स्थिति में बहुत परिवर्तन भी हुआ है। निर्धनता का जाति से जुड़े होने के कारण ऋणकर्ताओं की संख्या भी निम्न जाति बहुल है।

जाति से सम्बन्धित तथ्यों को सारणी में संकलित किया गया है।

---

1 प्रस्तुत अध्याय में सुविधा के दृष्टि से ऋणकर्ताओं को उच्च जाति, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के वर्ग में बाँटकर अध्ययन किया गया है। उच्च जाति में क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ आदि परिवार है। पिछड़ी जाति में बनियाँ, यादव, मौर्य, कुर्मी, भर, गड़ेरिया, कोहार आदि जातियों के परिवार है। अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हरिजन, गौड़, धोबी, खटिक, पासी, धरिकार आदि परिवार के लोग है।

सारणी-8.1: ऋणकर्ताओं का जाति के अनुसार आवंटन

जाति	*आवृत्ति*
उच्च जाति	9
पिछड़ी जाति	51
अनुसूचित जाति	40
योग	100

प्राप्त तथ्यों से विदित होता है कि 51 प्रतिशत पिछड़ी जाति के ऋणकर्ता, 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति के ऋणकर्ता एवं 9 प्रतिशत सामान्य जाति के ऋणकर्ता परिवार हैं।

सारणी में हम देखते है कि उच्च जाति का प्रतिशत काफी कम है जिसका मुख्य कारण है कि उच्च जाति के लोग आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है और इससे यह भी स्पष्ट है कि काशी ग्रामीण बैंक की स्थापना जनपद के कमजोर व पिछड़े वर्ग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये की गई थी, उसमें सफलता मिल रही है।

ऋणकर्ताओं का व्यवसायः

व्यवसाय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण आधार है। निर्धनता ने व्यवसाय के स्वरूप को विशेष प्रभावित किया है। निर्धन व्यक्ति बड़े-बड़े व्यवसायों को चलाने की क्षमता नहीं रख पाते तथा इनके मुख्य व्यवसाय निम्न आकार वाली खेती, मजदूरी तथा अन्य छोटे धन्धे हैं। इस प्रकार

ऋणकर्ताओं की व्यवसायिक स्थिति को समझने के लिए वर्तमान अध्ययन में उनके व्यवसायों का वर्णन भी किया गया है। ऋणकर्ताओं के व्यवसाय से सम्बन्धित तथ्यों को निम्न सारणी में संकलित किया गया है। इसके अन्तर्गत ऋणकर्ता के मुख्य व्यवसाय के साथ-साथ सहायक व्यवसाय को भी लिया गया है।

सारणी-8.2-ऋणकर्ता का व्यवसाय

व्यवसाय	*मुख्य व्यवसाय के रूप में (आवृत्ति)*	*सहायक व्यवसाय के रूप में (आवृत्ति)*
कृषि	43	15
कृषिश्रम	4	4
गैर कृषिश्रम	4	-
ग्रामीण कारीगर	27	20
परिवहन चालक	11	2
लघु व्यापार	11	10
कोई नहीं	-	49
योग	100	100

(क) मुख्य व्यवसाय- मुख्य व्यवसाय के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित ऋणकर्ताओं के परिवारों में 43 प्रतिशत परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की

प्रधानता तो परिलक्षित होती है, लेकिन कुछ छोटे-छोटे व्यवसाय भी पाये जाते है, जो निम्न आय वाले परिवारों द्वारा सम्पादित किए जाते हैं। सर्वेक्षण में सम्मिलित ऋणकर्ता परिवारों में 4 प्रतिशत कृषि श्रमिक है तथा 4 प्रतिशत परिवार कृषि के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों में श्रमिक का कार्य करते है। 27 प्रतिशत परिवार का मुख्य व्यवसाय ग्रामीण कारीगरी है, 11 प्रतिशत परिवार परिवहन चालक से सम्बन्धित हैं तथा लघु व्यवसाय एवं फुटकर व्यापार के अन्तर्गत 11 प्रतिशत परिवार हैं। इस प्रकार 47 प्रतिशत परिवार किसी न किसी रूप में कृषि से सम्बन्धित है और 53 प्रतिशत परिवार गैर कृषि व्यवसाय अपनाये हुए है। गैर कृषि व्यवसाय अपनाने वालों में 27 प्रतिशत परिवार हथकरघा बुनाई एवं गलीचा बुनाई में संलग्न हैं। वाराणसी जनपद में साड़ियों की बुनाई का भी कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, जिसका उत्पादन शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है।

इस प्रकार कृषि के बाद हथकरघा, हस्तशिल्प आदि व्यवसायों में सर्वाधिक व्यक्ति संलग्न है। विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि कृषि से सम्बन्धित वर्ग की अपेक्षा गैर कृषक वर्ग अधिक संख्या में ऋण प्राप्त किये है।

(ख) **सहायक व्यवसाय**- ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय से पर्याप्त आय का अभाव सहायक व्यवसाय के लिए लोगो को प्रेरित करता है। लघु एवं सीमान्त कृषकों के पास बहुत अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं रहती तथा कृषि व्यवसाय की प्रकृति भी ऐसी नहीं है, जिससे लोगों को वर्षभर कार्य मिलता रहे। अत: खाली समय में कृषक के पास सहायक

व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त समय रहता है। इसके साथ-साथ समाज का यह वर्ग जिसके पास भूमि कम है तथा भूमिहीन व्यक्ति अपनी-अपनी अर्जन क्षमता बढ़ाने के लिए सहायक व्यवसाय अपनाये हुए है। उपर्युक्त सारणी से विदित है कि 51 प्रतिशत ऋणकर्ता परिवारों में सहायक व्यवसाय अपनाया गया है, जिसमें 15 प्रतिशत परिवार कृषि वर्ग से सम्बन्धित है तथा सहायक व्यवसाय में कृषि करने वाले वे लोग है जिनका मुख्य व्यवसाय दुकानदारी, लघु व्यापार या नौकरी है परन्तु वे परिवार कृषि कार्यो में गौण रूप से सहायक होते है। 4 प्रतिशत परिवार कृषि श्रमिक है, जिनके पास अपनी जमीन नाममात्र की है। 32 प्रतिशत ऋणकर्ता परिवार गैर कृषि कार्यो में संलग्न है। गैर कृषि व्यवसाय 20 प्रतिशत ग्रामीण कारीगर, 10 प्रतिशत लघु व्यवसाय एवं फुटकर विक्रेता, 2 प्रतिशत परिवहन चालक कार्य व्यवसाय अपनाये हुए है।

ऋणकर्ता का भू-स्वामित्वः

कृषि ऋण प्रदान करने में ऋणकर्ता के भू-स्वामित्व को ध्यान में रखा जाता हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकतर लघु एवं सीमान्त कृषक है। भूमि से सम्बन्धित तथ्यों को सारणी में संकलित किया गया है।

सारणी-8.3: ऋणकर्ताओं का भू-स्वामित्व (एकड़ में)

भूमि (एकड़ में)	*आवृत्ति*
0.5 से कम	3
0.5 से 1.5	23
1.5 से 2.5	8
2.5 से 5.0	11
5 से ऊपर	2
भूमिहीन	53
योग	100

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 53 प्रतिशत ऋणकर्ता भूमिहीन हैं। 3 प्रतिशत ऋणकर्ताओं के पास 1/2 एकड़ से कम भूमि है। 23 प्रतिशत ऋणकर्ताओं के पास 0.5 से 1.5 एकड़ भूमि है। 1.5 से 2.5 एकड़ तक भूमि वाले 8 प्रतिशत ऋणकर्ता परिवार है। इस प्रकार 34 प्रतिशत परिवार सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है। 2.5 से 5.0 एकड़ तक भूमि वाले परिवार 11 प्रतिशत हैं। 2 प्रतिशत ऋणकर्ताओं के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लघु एवं सीमान्त कृषक ही ऋण प्राप्त किये हुए हैं। उनमें भी सीमान्त कृषकों का प्रतिशत अधिक है। सर्वेक्षण से ऐसे भी तथ्य सामने आये है कि छोटे कृषकों, भूमिहीनों के अतिरिक्त बड़े

कृषक भी काशी ग्रामीण बैंक से कृषि, लघु उद्योगों एवं स्वरोजगार के लिए ऋण की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं और विकास भी हो रहा है।

प्राप्त ऋण का उद्देश्य:

काशी ग्रामीण बैंक की ऋण योजनाओं के क्रियान्वयन को जानने के लिए विभिन्न ऋणकर्ताओं से ऋण के प्रयोजन के बारे में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में सम्मिलित ऋणकर्ताओं को कुल 25 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य दूसरे कार्यों के लिए भी बैंक ऋण प्रदान करता है। ऋण के प्रयोजनवार विवरण से सम्बन्धित तथ्यों को निम्न सारणी में संकलित किया गया है:

सारणी-8.4: ऋण का प्रयोजनवार विवरण

क्रम सं0	प्रयोजन	आवृत्ति
1.	अल्पकालीन कृषिऋण	7
2.	पम्पिंग सेट (लघु सिंचाई योजना)	3
3.	गोबर गैस संयंत्र	2
4.	भैस पालन/गाय पालन	6
5.	भेड़ पालन	1
6.	सूअर पालन	2
7.	मत्स्य पालन	1
8.	हथकरघा	28

9.	गलीचा	2
10.	तारकसी	3
11.	टोकरी बनाना	2
12.	चमड़े का कार्य	1
13.	सायकिल मरम्मत	3
14.	लाउडस्पीकर	6
15.	परचून की दुकान	6
16.	जनरल मर्चेन्ट	6
17.	मीठा की दुकान	3
18.	बर्तन की दुकान	2
19.	रिक्शा ट्राली	11
20.	टेम्पो	1
21.	आटा चक्की	1
22.	हाथ ठेला	2
23.	सिलाई मशीन	1
24.	खाद की दुकान	1
25.	मिट्टी का बर्तन बनाना	2
	योग	100

नोट- संख्या ही प्रतिशत दिखा रही है।

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 22 प्रतिशत लोग कृषि एवं सम्बन्धित कार्यो के लिए ऋण स्वीकृत कराये है। कृषि ऋण के अन्तर्गत 7 प्रतिशत अल्पकालीन कृषि ऋण, 3 प्रतिशत पम्पिंग सेट, 2 प्रतिशत गोबर गैस संयंत्र, 6 प्रतिशत भैंस पालन/गाय पालन, 1 प्रतिशत भेड़ पालन, 2 प्रतिशत सूअर पालन और 1 प्रतिशत मत्स्य पालन के लिए ऋण लिये गये। गैर कृषि कार्यो के लिए सर्वाधिक 28 प्रतिशत हथकरघा एवं इसके बाद रिक्शा ट्राली के लिए 11 प्रतिशत लोग ऋण लिए हैं इसी प्रकार बैक ने गलीचा, तारकसी, बाँस का कार्य, चमड़े का कार्य, सायकिल मरम्मत, लाउडस्पीकर, परचून की दुकान, जनरल मर्चेन्ट की दुकान, मीठा की दुकान, बर्तन की दुकान, टेम्पो, हाथठेला, आटा चक्की, सिलाई मशीन तथा मिट्टी के बर्तन बनाने के कार्य में रत लोगों को ऋण प्रदान किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक द्वारा विभिन्न कार्यो के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है जिससे समाज का लगभग प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुआ है।

ऋण के बारे में सूचना एवं उत्प्रेरक माध्यमः

इसके अन्तर्गत यह सर्वेक्षण किया गया है कि बैंक से ऋण लेने के लिए ऋणकर्ता को कौन उत्प्रेरित किया है। अधिकांशतः ग्रामीण अशिक्षित होते हैं, यदि शिक्षित भी होते है तो उनकी शिक्षा का स्तर निम्न ही होता है। इस कारण वे अपनी योजना स्वयं बनाने में असमर्थ रहते हैं तथा ऋण लेने में संकोच का अनुभव करते हैं। अतः बहुत से ऋणकर्ताओं को ग्रामसेवक, किसान सहायक व ग्राम प्रधान उत्प्रेरित किये हैं। उत्प्रेरक माध्यम से सम्बन्धित तथ्यों को सारणी द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।

सारणी-8.5: ऋण के लिए उत्प्रेरक माध्यम

माध्यम	*आवृत्ति*
स्वयं	19
परिवार के सदस्य	6
ग्रामीण साथी	16
ग्राम सेवक/किसान सहायक/ग्राम प्रधान	52
बैंक कर्मचारी	7
योग	100

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कुल 52 प्रतिशत ऋणकर्ता ग्राम प्रधान, ग्राम सेवक व किसान सहायक के माध्यम से ऋण प्राप्त किये है। 19 प्रतिशत लोग स्वयं ऋण लेने का प्रयास किये है। इनमें वही ऋणकर्ता है, जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी है। 6 प्रतिशत ऋणकर्ता परिवार के सदस्यों की प्रेरणा से ऋण लिए है। 16 प्रतिशत ऋणकर्ता अपने साथियों आदि की प्रेरणा से ऋण प्राप्त किए हैं। केवल 7 प्रतिशत ऋणकर्ता ही बैंक कर्मचारियों के उत्प्रेरण से ऋण लिए हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि बैंक कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीणों को ऋण के विषय में अधिक जानकारी देने की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण विकास में और तीव्रता लायी जा सके।

बैंक से ऋण लेने के कारण:

पूर्व समय में लोग ऋण लेने के लिए परम्परागत स्रोत का ज्यादा सहारा लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में गैर परम्परागत स्रोत का महत्व बढ़ा हैं। अब लोग बैंक से ऋण लेना ज्यादा पसन्द करते है। हम नीचे सारणी में देखेगें कि बैंक से ऋण लेने के क्या-क्या कारण है।

सारणी-8.6: ऋणकर्ताओं के ऋण लेने के कारण

कारण	*आवृत्ति*
सुविधा (दूरी कम/कर्मचारियों से परिचय/समय कम लगना)	71
विश्वसनीयता	7
ऋण की बड़ी मात्रा	8
उचित ब्याज दर	14
योग	100

प्राप्त तथ्यों से हम देखते हैं कि 71 प्रतिशत लोग बैंक से होने वाली सुविधा के कारण ऋण प्राप्त करते है, 7 प्रतिशत लोग बैंक के प्रति विश्वास के कारण ऋण लेते है, 8 प्रतिशत लोग ऋण की बड़ी मात्रा के कारण ऋण लेते है, 14 प्रतिशत लोग ऋण पर लगने वाले उचित ब्याज दर के कारण ऋण लेते है।

समय के आधार पर ऋण आवंटनः

ऋण की अवधि से सम्बन्धित तथ्यों को निम्न सारणी में संकलित किया गया है।

सारणी-8.7: ऋण की अवधि के अनुसार ऋणी लोगों का प्रतिशत

अवधि	*आवृत्ति*
अल्पकालीन	7
मध्यकालीन	93
योग	100

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ऋण के अन्तर्गत 7 प्रतिशत ऋण अल्पकालीन उद्देश्यों के लिये दिया गया है और शेष 93 प्रतिशत ऋण मध्यकालीन उद्देश्यों के लिए। काशी ग्रामीण बैंक द्वारा दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था न होने के कारण दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए कोई ऋण स्वीकार नही किया गया है।

ऋण की धनराशिः

जिन ऋणकर्ताओं के परिवार में ऋण लिया गया है, उनसे साक्षात्कार के बाद यह निष्कर्ष सामने आया है कि ऋण की मात्रा नगद व वस्तु दोनों रूपों में प्राप्त हुई है। ऋणकर्ताओं में कुछ ऋणकर्ताओं ने कमीशन की भी बात स्वीकार की है। ऋणराशि के सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों को सारणी में संकलित किया गया है।

सारणी-8.8: ऋणकर्ताओं को प्राप्त ऋण की धनराशि

ऋण राशि (रूपये में)	*आवृत्ति (परिवार)*
1500 से कम	–
1501 से 2500	23
2501 से 3500	15
3501 से 4500	4
4501 से 5500	28
5501 से 6500	17
6501 से 8500	5
8501 से अधिक	8
योग	100

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1500 रूपये से कम की कोई ऋणराशि नहीं प्राप्त की गयी है। 23 प्रतिशत ऋण 1501-2500 रूपये के मध्य, 15 प्रतिशत ऋण 2501-3500 रूपये के मध्य, 4 प्रतिशत 3501-4500 रूपये के मध्य, 28 प्रतिशत ऋण 4501-5500 रूपये के मध्य, 17 प्रतिशत 5501-6500 रूपये के मध्य, 5 प्रतिशत 6501-8500 के मध्य और 8 प्रतिशत 8501 रूपये से अधिक ऋणराशि प्रदान किये गये हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 70 प्रतिशत ऋण राशि 5500 रूपये तक दी गयी है तथा 30 प्रतिशत ऋण 5500 रूपये से ऊपर की दी गयी है।

इसका कारण यह है कि बैंक से ऋण अधिकांशतः छोटे-छोटे कार्यो के लिए लिया गया है।

ऋणराशि का प्रयोगः

ऋण का प्रयोग यदि ऋणकर्ताओं द्वारा निश्चित उद्देश्यों के लिये समय से किया जाता है तो वे लाभान्वित होते है अन्यथा दुरूपयोग की सम्भावना रहती है। ऋण का अन्य कार्यो में प्रयोग होने से यदि वे उत्पादक नहीं है तो ऋण की अदायगी करने में कठिनाई होती है। हम सारणी में देखेगें की ऋणकर्ता में कितने प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो अपने लिए गए ऋण का प्रयोग उत्पादक कार्य में करते है और कितने प्रतिशत अनुत्पादक कार्य में लगाते है।

सारणी-8.9: ऋणराशि का प्रयोग

उत्पादक	87
अनुत्पादक	13
योग	100

सारणी से स्पष्ट है कि 87 प्रतिशत ऋणकर्ताओं ने बैंक ऋण का प्रयोग उत्पादक कार्यो के लिए किया है। ऋणकर्ताओं कृषि, लघु उद्योग तथा स्व-रोजगार जैसे उत्पादक कार्यो में अपने ऋण को लगाया है। सारणी से एक बात और स्पष्ट होती है कि 13 प्रतिशत ऋणकर्ताओं द्वारा ऋण का अन्य कार्यो में प्रयोग किया गया है। इन ऋणकर्ताओं ने अपनी निर्धनता के कारण बैंक से लिए गए ऋण का प्रयोग अपने निजी अनुत्पादक कार्यो में कर लिया। ऐसी स्थिति में उन परिवारों के समक्ष ऋण अदायगी की समस्या प्रमुख है।

उत्पादक प्रयोग में ऐसे कार्य है जिनसे आय प्राप्त हुई है और अनुत्पादक कार्य में ऋणकर्ता के वे कार्य हैं जो आय नही प्रदान करता। अनुत्पादक कार्य में ऋणकर्ताओं ने बैंक से लिए गये ऋण को परिवार के समारोह आदि में खर्च कर दिया।

ऋण प्राप्त करने में लगने वाला समयः

ऋण प्राप्त करने हेतु ऋणकर्ता को बैंक में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद बैंक इन आवेदन पत्रों की जाँच करता है तथा उन्हें ऋण की आवश्यकतानुसार ऋण स्वीकृत करता है। विभिन्न ऋणकर्ताओं से ऋण प्राप्ति सम्बन्धी समयावधि के बारे में सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला है कि कभी-कभी तो एक वर्ष से भी अधिक समय ऋण प्राप्त करने में लग गया है लेकिन ऐसे ऋणकर्ताओं की संख्या काफी कम है।

सारणी-8.10: ऋण प्राप्त करने में समयावधि

समयावधि	*आवृत्ति*
1 माह से कम	7
1 माह से 3 माह	55
3 माह से 6 माह	30
6 माह से 12 माह	6
12 माह से ऊपर	2
योग	100

प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि 38 प्रतिशत लोगों को ऋण प्राप्त करने में तीन माह से ऊपर समय लगा तथा 62 प्रतिशत लोगों को इससे कम समय में ऋण प्राप्त हुआ।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि काशी ग्रामीण बैंक अपने कार्यप्रणाली में सुधार करके ऋणकर्ता को समय पर ऋण उपलब्ध कराये क्योंकि ऋण प्राप्त होने में विलम्ब होने से ऋणकर्ता दूसरे स्रोतों से ऋण प्राप्त करने लगता है जिससे इस बैंक की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी ऋण न प्राप्त होने की दशा में ऋणकर्ता, महाजनों एवं साहूकारों के पास चला जाता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए काशी ग्रामीण बैंक की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अतः क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर बैंक को ऋण सुविधा प्रदान करने में शीघ्रता और सुगमता लायी जानी चाहिए। बैंक द्वारा ऋणकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराने में विलम्ब के कई कारण है। प्रायः ऋण प्राप्त होने में पूरी की जाने वाली कागजी औपचारिकताओं एवं दस्तावेजों को ऋणकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराने में समय लग जाता है। इसके पश्चात बैंक उनकी जाँच पड़ताल आदि में भी प्रायः अनावश्यक विलम्ब करता है।

ऋण लेने में कठिनाइयाँ:

गाँवों में अधिकांश अशिक्षित एवं गरीब जनसंख्या निवास करती है। उन्हें ऋण प्राप्ति सम्बन्धी नियम कानून ज्यादा नही मालूम होता है। सर्वेक्षण के दौरान यह पूछने पर कि ऋणकर्ताओं को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? इस सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों को निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है-

सारणी-8.11: ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ

कठिनाइयाँ	*आवृत्ति*
कार्यालय पर बार-बार जाना	13
कागजात सम्बन्धित कठिनाइयाँ	21
ऋण से सम्बन्धित कर्मचारी का दुर्व्यवहार	12
बैंक कर्मचारी का समय से न मिलना	7
बहुत अधिक समय लगाना	6
कोई कठिनाई नही	41
योग	100

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकांश ऋणकर्ताओं ने बैंक से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ उठायी है। हम देखते है कि 13 प्रतिशत ऐसे ऋणकर्ता है जिन्हें ऋण लेने के लिए कई बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ा। कार्यालय पर बार-बार जाने का कारण था कर्मचारियों द्वारा बिना कारण बताये बार-बार बुलाना। 21 प्रतिशत ऐसे ऋणकर्ता है जिनको कागजात सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन ऋणकर्ताओं ने यह शिकायत किया कि, यदि उनके ऊपर किसी भी संस्था का ऋण बकाया है तो उन्हें ऋण मिलने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 12 प्रतिशत लोग कर्मचारियों के व्यवहार से दुखी थे। कर्मचारियों द्वारा फटकार भी सुने हैं। अमुक दिन को न आकर अमुक दिन को आओं इत्यादि। 7 प्रतिशत शिकायत करने वालों ने यह कहा कि बैंक कर्मचारी सुबह 10 बजे के बजाय 11 बजे या उससे बाद भी

आते है ऐसी दशा में ऋणकर्ता को समय से बैंक कर्मचारी के न मिलने की भी कठिनाई महसूस हुई। 6 प्रतिशत ऋणकर्ताओं के अनुसार कुछ लोगों को जल्दी ऋण स्वीकृत हो जाता है, लेकिन हमलोगों को ऋण मिलने में बहुत अधिक विलम्ब हुआ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि केवल 41 प्रतिशत ऋणकर्ताओं को कोई कठिनाई नहीं हुई, बाकी 59 प्रतिशत ऋणकर्ताओं को किसी न किसी यातना से गुजरना पड़ा।

ऋणकर्ताओं की अदायगी के लिए सचेष्टता:

समय से ऋण की अदायगी न होना एक गम्भीर समस्या है, इससे दोनों पक्षों, अर्थात् बैंक व ऋणकर्ता को हानि होती है। अदायगी न होने से बैंक के पूँजी में कमी होता है और वे ऋण देने का जोखिम उठाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ ऋणकर्ता द्वारा समय से ऋण की अदायगी न करने से उनका ब्याज बढ़ता जाता है। विभिन्न ऋणकर्ताओं से ऋण की अदायगी के बारे में साक्षात्कार किया गया। ऋण अदायगी की चेतना से सम्बन्धित तथ्यों को सारणी में संकलित किया गया है।

सारणी-8.12: ऋण अदायगी के लिए सचेष्

सचेष्	*आवृत्ति*
पूर्ण सचेष्ट	62
आंशिक सचेष्ट	28
सचेष्ट नहीं	10
योग	100

प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि 62 प्रतिशत ऋणकर्ता पूर्ण सचेष्ट हैं। 28 प्रतिशत ऋणकर्ता ऋण की अदायगी के लिए आंशिक रूप से सचेष्ट है। क्योंकि ये अपनी किस्त अधिकतर विलम्ब से जमा करते है। 10 प्रतिशत लोग ऋण अदा न करने की बात स्वीकार किये हैं।

साक्षात्कार से यह स्पष्ट हुआ है कि निम्न आय वर्ग वाले ऋणकर्ता बैंक ऋण को जल्दी से जल्दी अदा करना चाहते हैं और सचेष्ट भी हैं। परंतु आर्थिक विपन्नता के कारण वे ऋण की एकमुश्त राशि नही अदा कर पाते। इसके विपरीत उच्च आय वर्ग वाले ऋणकर्ताओं में ऋण अदायगी के प्रति उदासीनता अधिक पायी गयी हैं।

10 प्रतिशत ऐसे लोग है जो ऋण अदायगी के लिए सचेष्ट नहीं है। इनकी भावनाओं से यह ज्ञात होता है कि ये लोग ऋण सहायता के रूप में पाये हैं जिसकी अदायगी करना ही नहीं है, जबकि बैंक की नोटिस बार-बार जाती रहती है। यह स्थिति या तो निम्न आय वर्ग वाले अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों की है, या उच्च आय वर्ग वाले लोगों की है। निर्धन लोग आशावान है कि भविष्य में राजनीतिज्ञों द्वारा ऋण माफ हो जायेगें। जबकि उच्च आय वर्ग में ऋणों का दुरूपयोग होना इसका मुख्य कारण है।

ऋण अदायगी एवं स्रोतः

ऋण के वितरण के सम्बन्ध में ऋण की अदायगी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। बैंक की नीति के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में विशेष सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था है। उनकी ऋण राशि को एक ही बार में वसूल न करके किश्तों के रूप में निर्धारित करके वसूल किया जाता हैं। किस्त का निर्धारण करते समय लाभार्थियों को परियोजना लागत और उससे

प्राप्त होने वाले उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस सन्दर्भ में ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लाभार्थियों को छोटी-छोटी और आसान किश्तों में अपने ऋण की अदायगी, परियोजना के उत्पादन की आय से ही पूरा कर दें। इसलिए ऋण की अदायगी के बारे में सर्वेक्षण करने से उनके स्रोतों के बारे में भी पता चला है, जो निम्न सारणी में संकलित किया गया है-

सारणी-8.13: ऋण अदायगी के स्रोतों का विवरण

क्रम सं0	*स्रोत*	*आवृत्ति*
1.	परियोजना से प्राप्त आय द्वारा	52
2.	अन्य स्रोतो से	10
3.	दोनों स्रोतो से	24
4.	अदायगी प्रारम्भ नहीं	14
	योग	100

इस प्रकार प्राप्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि 52 प्रतिशत ऋणकर्ताओं द्वारा ऋण से चालू की गई परियोजना द्वारा प्राप्त आय से ऋण की अदायगी की गयी। 10 प्रतिशत ऋणकर्ता परियोजना से आय न प्राप्त होने के कारण अन्य स्रोतों से ऋण की अदायगी किये हैं। 24 प्रतिशत ऋणकर्ता ऋण की अदायगी परियोजना की आय से कुछ अंश तक तथा शेष अंश अन्य स्रोतों से किये है। ऐसे ऋणकर्ता ऋण की अदायगी या तो समय से किये है या समय से पूर्व किये हैं। शेष 14 प्रतिशत ऋणकर्ता अभी तक ऋण अदायगी प्रारम्भ ही नहीं किये है इनके बारे में विस्तृत विवरण अपर्याप्त हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि केवल 52 प्रतिशत लोग ही पूर्णरूप से सफल रहे है शेष 34 प्रतिशत लोगों ने या तो सम्पूर्ण ऋणों को अन्य स्रोतों से लौटाया या मुख्य योजना से प्राप्त आय तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था किया।

इस विवरण से स्पष्ट होता है कि 52 प्रतिशत ऋणकर्ताओं द्वारा ऋण की अदायगी ऋण से संचालित परियोजना द्वारा प्राप्त आय से किया गया है जिससे यह परिलक्षित होता है कि जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया गया है वे लाभप्रद है तथा ऋण का पूरा लाभ उठाया गया है।

ऋण अदायगी में कठिनाइयाँ:

साक्षात्कार के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि ऋणकर्ताओं को ऋण अदायगी में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सम्बन्धित तथ्यों को निम्न सारणी में देखा जा सकता है:

सारणी-8.14: ऋण अदायगी मे कठिनाइयाँ

कारण	*आवृत्ति*
कार्य लाभप्रद न होना	5
फसल की बर्बादी	3
आय कम होना	11
पारिवारिक कारण	7
अन्य कारण	5
कोई कठिनाई नही	69
योग	100

तथ्यों से ज्ञात होता है कि 69 प्रतिशत ऋणकर्ताओं को ऋण की अदायगी में कोई कठिनाई नहीं हुई। शेष 31 प्रतिशत ऋणकर्ताओं में से 5 प्रतिशत ऋणकर्ताओं को कार्यकलाप लाभप्रद न होने के कारण कठिनाई हुई, 3 प्रतिशत ऋणकर्ताओं को फसल की बर्बादी के कारण ऋण अदायगी में कठिनाई हुई, 11 प्रतिशत को आय की कमी, 7 प्रतिशत ऋणकर्ताओं को पारिवारिक बिमारी एवं झगड़ो के कारण ऋण अदायगी में कठिनाई हुई तथा 5 प्रतिशत को अन्य कारणों से कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

ऋण सुविधा से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन:

ऋणकर्ताओं को ऋण लेने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हुए है, जिनको सारणीबद्ध किया जा सकता है।

सारणी-8.15: आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

स्थिति	*आवृत्ति*
सन्तोषजनक सुधार	40
सीमान्त सुधार	36
अपरिवर्तनीय	24
योग	100

प्राप्त तथ्यों के आधार पर विदित है कि 76 प्रतिशत ऋणकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। 24 प्रतिशत ऋणकर्ताओं की आर्थिक स्थिति

अपरिवर्तनीय रही है जिसमें 13 प्रतिशत[1] तो वे लोग है जिन्होंने ऋण को अनुत्पादक कार्य में लगा दिया है तथा शेष वे है जिनकी पशु की मृत्यु हो गयी, जो कृषिगत आपदा के शिकार हो गए, जिनकी आय इतनी कम प्राप्त हुई की वे ऋण अदा करने में असमर्थ रहे या फिर ऐसे ऋणकर्ता पाये गए जो ऋण अदायगी में विलम्ब करते रहने से और भी ऋण के बोझ में दबते गए। ऋणकर्ताओं की आर्थिक दशा में सुधार का विस्तृत विवरण आगे दिया गया है।

आय के आधार पर ऋणकर्ताओं का आवटंन:

ऋणकर्ताओं द्वारा ऋण लेने से आय में होने वाले परिवर्तन को जानने के लिए परिवार की आय का संकलन किया गया हैं। ऋणकर्ताओं से ऋण लेने के पूर्व एवं ऋण लेने के पश्चात् दोनों स्थितियों में उनके आय को पूछा गया। ऋणकर्ता को विभिन्न स्रोतों से कितनी आय प्राप्त हुई है उसके आधार पर शोधकर्ता द्वारा स्वयं वार्षिक आय की गणना की गयी है। वार्षिक आय के अन्तर्गत ऋणकर्ता परिवार के सभी सदस्यों द्वारा अर्जित आय सम्मिलित है।

---

1 सारणी संख्या 8.9 में दर्शाया गया है।

सारणी-8.16: ऋणकर्ता परिवार की वार्षिक आय

परिवार का आय (रूपये वार्षिक)	*ऋण लेने से पूर्व संख्या (व्यक्ति/परिवार)*	*ऋण लेने के बाद की संख्या (व्यक्ति/परिवार)*
4000 से कम	4	–
4001 से 5000	36	2
5001 से 6000	21	13
6001 से 7000	16	14
7001 से 8000	12	31
8001 से 9000	9	20
9001 से 10,000	1	14
10001 से ऊपर	1	6
योग	100	100

प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि ऋण लेने से पहले 4000 रूपये से कम वार्षिक आय उपार्जित करने वाले ऋणकर्ता परिवारों की संख्या 4 प्रतिशत थी। ऋण लेने के पश्चात् इन परिवारों की आय में वृद्धि हुई और 4000 रूपये वार्षिक से कम आय प्राप्त करने वाला एक भी परिवार नहीं है। ऋण लेने के पूर्व 4001 से 5000 रूपये तक वार्षिक आय उपार्जित करने वाले ऋणकर्ताओं की संख्या 36 प्रतिशत थी जबकि ऋण लेने के पश्चात् इस आय

वर्ग के परिवारों की आय में वृद्धि हुई और ऐसे मात्र 2 प्रतिशत परिवार रह गए। ऋण लेने के पूर्व 5001 से 6000 रूपये वार्षिक आय प्राप्त करने वाले 21 प्रतिशत परिवार थे। ऋण लेने के पश्चात् यह संख्या घटकर 13 प्रतिशत हो गयी अर्थात् उनकी आय में वृद्धि हुई है। 6001 से 7000 रूपये वार्षिक आय उपार्जित करने वाले परिवारों की संख्या का प्रतिशत ऋण लेने के पूर्व 16 प्रतिशत था जो ऋण लेने के बाद 14 प्रतिशत ही रह गया। 7001 से 8000 रूपये तक वार्षिक आय उपार्जित करने वाले 12 प्रतिशत परिवार ऋण लेने के पूर्व थे किन्तु ऋण लेने के पश्चात् इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है जो बढ़कर 31 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार 8001 से 9000 रूपये वार्षिक आय उपार्जित करने वाले ऋणकर्ता परिवारों की संख्या का प्रतिशत ऋण लेने के पूर्व 9 प्रतिशत था जो बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया। ऋण लेने के पूर्व 9001 से 10000 रूपये एवं 10000 रूपये से ऊपर आय उपार्जित करने वाले ऋणकर्ताओं की संख्या क्रमशः 1 एवं 1 प्रतिशत थी जो ऋण लेने के पश्चात् बढ़कर क्रमशः 14 एवं 6 प्रतिशत हो गयी।

हम देखते है कि ऐसे परिवार जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 7000 रूपये तक है उनकी संख्या ऋण लेने से पूर्व 77 प्रतिशत थी जबकि जिन परिवार की वार्षिक आय 7000 रूपये से अधिक तथा 10000 रूपये तक है उनका प्रतिशत ऋण लेने से पूर्व 22 प्रतिशत था जबकि 10000 से ऊपर सिर्फ 1 प्रतिशत परिवार ऋण लेने से पूर्व थे। इसके विपरीत ऋण लेने के उपरान्त कम आय वाले परिवार के स्तर में सुधार होकर उनका प्रतिशत काफी बढ़ जाता है और ऋण लेने के उपरान्त 65 प्रतिशत परिवार का वार्षिक आय 7000 रूपये से अधिक हो जाता है तथा 6 प्रतिशत परिवार 10000 रूपये से

अधिक वार्षिक आय प्राप्त करने वाले हो जाते है। जबकि 7000 रूपये से कम वार्षिक आय वाले मात्र 29 प्रतिशत परिवार रह जाते है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकांश ऋणकर्ता परिवारों की आय ऋण लेने से पहले बहुत निम्न थी। आय स्तर की इस विवेचना से यह भी स्पष्ट होता है कि बैंक ऋण प्राप्त करने वालों में अधिकतर परिवार निम्न आय वर्ग के व्यक्ति है तथा ऋण प्राप्त करने तथा उसके उपयोग के बाद उनकी आय में पर्याप्त सुधार हुआ है।

इस प्रकार यह देखा गया कि काशी ग्रामीण बैंक अपने लक्ष्य में शत-प्रतिशत तो नहीं लगभग लक्ष्य की प्राप्ति के करीब पहुँच गया है। अपनी स्थापना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी आशातीत सफलता मिली है।

*****